

जनगणना 2021 के आँकड़े इलेक्ट्रॉनिकी रूप से संग्रहीत किये जाएंगे

चर्चा में क्यों?

भारतीय रजिस्ट्रार जनरल (RGI) द्वारा अधिसूचि संशोधति नियम के मुताबकि 2021 की जनगणना के दौरान एकत्रति आँकड़े इलेक्ट्रॉनिकी रूप से संग्रहीत किये जाएंगे। स्वतंत्र भारत में पहली बार 1951 में दस वर्षीय जनगणना आयोजति की गई थी। जनगणना से संबंधति दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिकी रिकॉर्ड तैयार करने के बाद, परगिणना और अन्य संबंधति कागज़ात पूरी तरह या आंशकि रूप से जनगणना नदिशक द्वारा नपिटाए जाएंगे।

इलेक्ट्रॉनिकी प्रारूप

- अब तक "परगिणना" (व्यक्तियों के ब्योरे वाले सारणीबद्ध प्रारूप), जो कघरों में जाकर गणनाकारों द्वारा की जाती थी, को दल्लि में सरकार के भंडारगृह में भौतिकी रूप में संग्रहीत किया जाता था।
- करोड़ों पृष्ठों वाले ये रिकॉर्ड सरकारी कार्यालय में अधकि जगह ले रहे थे और अब तय किया गया है कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिकी प्रारूप में संग्रहीत किया जाएगा।
- डेटा के साथ कसि भी प्रकार की छेड़छाड़, सूचना प्रौद्योगिकी अधनियम, 2000 के तहत दंडनीय होगा। आरजीआई ने इस संबंध में अधसूचना जारी की है क्योंकि 2021 की जनगणना इसी प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
- गणनाकार (परगणक) 2020 में "हाउस लसिटगि" का कार्य शुरु करेंगे और "हेडकाउंट" फरवरी 2021 से शुरु होगा। जनगणना वेबसाइट पर तालकिओं के रूप में प्रकाशति होगी।
- आँकड़े 10 वर्षों के लयि सुरक्षति रखे जाएंगे और बाद में इन्हें नष्ट कर दया जाएगा। अब इन्हें इलेक्ट्रॉनिकी प्रारूप में संग्रहीत कर हमेशा के लयि सुरक्षति रखा जा सकता है।